संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/ 2020/1709 भोपाल, दिनांक 24/09/2020

–:: आदेश ::–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–दमोह के प्रभार परिवर्तन संबंधी संचालनालय के आदेश आदेश क्रमांक 01जी/विज्ञप्त/सेल–05/2020/989 दिनांक 27.06.2020 के विरूद्ध डॉ. श्रीमती तुलसा ठाकुर, द्वारा मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका डब्लू0पी0 9208/2020 दायर की गई जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2020 के पालन में संचालनालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 01जी/विज्ञप्त/सेल–05/2020/989 दिनांक 27.06.2020 को संचालनालय आदेश क.1323 दिनांक 13.08.2020 द्वारा स्थगित किया गया था ।

मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका क. 9208/2020 में दिनांक 15.09.2020 को निर्णय दिया है– It is pertinent to mention here that the respondent-State has also filed a note-sheet which reveals that considering thethen existing circumstances, the Collector Damoh has made a request to handover the charge of the post of Chief Medical & Health Officer to respondent No.3 as the Collector was not satisfied with the working of the petitioner as Incharge Chief Medical & Health Officer and finally the Health Commissioner and the Minister of the respective department approved the proposal of the Collector and issued the order impugned. Thus, in view of the aforesaid facts and circumstances of the case and taking note of the law laid down by this Court in case of Dr.V.B.Singh Baghel (supra), I do not find any substance in the petition and the order impugned does not call for any interference. Accordingly, the petition filed by the petitioner is dismissed.

मा0 उच्च न्यायालय, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2020 द्वारा डब्ल्यू.पी. 9208/2020 निरस्त की जा चुकी है, इसलिए संचालनालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 01जी/विज्ञप्त/सेल–05/2020/1323 दिनांक 13.08. 2020 स्वतः ही समाप्त हो जाता है । संचालनालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 01जी/विज्ञप्त/सेल–05/2020/989 दिनांक 27.06.2020 यथावत लागू होगा ।

(सपना एम.लोवंशी)
अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/ 2020/1710 भोपाल, दिनांक 24/09/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. महाधिवक्ता, मा0उच्च न्यायालय जबलपुर, म0प्र0।
02. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,म0प्र0।
03. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,म0प्र।
04. अपर संचालक(लीगल), स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।
05. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर, जबलपुर म0प्र0।
06. कलेक्टर जिला दमोह,म0प्र0।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह म0प्र0।
08. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय दमोह ।
09. जिला कोषालय अधिकारी, जिला दमोह म0प्र0।
10. संबंधित अधिकारियों की ओर पालनार्थ :– डॉ श्रीमती तुलसा ठाकुर, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह, डॉ संगीता त्रिवेदी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–दमोह का प्रभार तत्काल सौंप कर पूर्ववत् जिला स्वास्थ्य अधिकारी,दमोह का कार्य संपादित करेंगी।
11. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, भोपाल म0प्र0।

24/9/2020
अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0